170

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3375-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.10.1980 पारित नायब तहसीलदार, उप तहसील कराहल, जिला मुरैना (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 01/77-78/अ-19

.....

सन्तोष कुमार पुत्र श्री लीलाधर,
निवासी ग्राम कराहल, तहसील कराहल,
जिला श्योपुर (म0प्र0) --- आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला - श्योपुर (म0प्र0)

2- तहसीलदार तहसील कराहल,
जिला - श्योपुर (म0प्र0) -- अनावेदकगण

आवेदक अभिभाषक श्री एस.एल. धाकड़
शासकीय अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र शुक्ला

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21../.12./.2016..को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार, उप तहसील कराहल, जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/77-78/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 19.10.1980 के पालन में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश शासन की नीति अधिकार अभियान के तहत आवासहीन व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड खसरा क्रमांक 1411 के क्षेत्रफल 2 बीघा का पट्टा

नायब तहसीलदार, उप तहसील कराहल, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 01/77-78/अ-19 पारित आदेश दिनांक 05.03.1977 के द्वारा आवेदक को आवासीय पट्टा प्रदाय किया गया था, जिसका आधिपत्य दिनांक 19.10.1980 को सौंपा गया था। तभी से आवेदक के पदाय भू-खण्ड पर 100 X 40 वर्गफुट पर पशु बांधने चारा रखने निवास करते हुए चला आ रहा है। आवेदक का 40 वर्षो से काबिज होने एवं आधिपत्य होने से विधि के अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व के अधिकार उद्भूत होने से भूमिस्वामी घोषित किया जावे, के संबंध में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया है कि विवादित सर्वे नम्बर 1411 रकवा 2 बीघा का म0प्र0 शासन की नीति अनुसार अधिकार अभियान के तहत विधिवत आवासीय भू-खण्ड पशु पालन एवं चारा रखने आदि के नायब तहसीलदार कराहल, जिला मुरैना जा वर्तमान, जिला श्योपुर निर्मित किया गया है। आवेदक को व्यवस्थापन पट्टा दिनांक 05.03.1977 को दिया गया था।

आवेदक अभिभाषक के अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि आवेदक 40 वर्षो से भवन बनाकर फलदार वृक्ष लगाकर विकसित कर निवास करता चला आ रहा है। जिसे ग्राम पंचायत कराहल को भी प्रतिवर्ष 500/-रूपये पट्टा शुल्क भी अदा करता चला आ रहा है और ग्राम पंचायत कराहल द्वारा भी उक्त आवासी भू-खण्ड को प्रमाणित किया गया है। आवेदक सरकारी अभिलेख में खसरा वर्ष सम्वत 2039 से दर्ज होकर चला आ रहा है, जिससे आवेदक को विधिअनुसार उसे भूमिस्वामी स्वत्व के अधिकार होने से भूमिस्वामी होने प्रदाय पट्टा दिनांक 05.03.77 को आधार पर भूमिस्वामी अधिकारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया गया कि कार्यालय ग्राम पंचायत कराहल के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 8 दिनांक 15.08.2015 से ग्राम पंचायत कराहल के गत 50 वर्षो से बसे हुए मजरे को आबादी में किये जाने के संबंध में पारित किया गया था।

5- शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि म0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में अधिकार अभियोजन के तहत आवासहीन एवं भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदाय का अभियान चलाया था और यह भी बताया गया था कि आबादी भूमि आबंटन धारा 244 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत बंटन किया जाता है। आवेदक को प्रदाय पट्टा अभिलेख से स्पष्ट होता है तथा भूमिस्वामी अधिकार म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है।

6- प्रकरण में उभयपक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से यह प्रकट है कि आवेदक को म0प्र0 शासन अधिकार अभियान के द्वारा आवेदक को प्रकरण क्रमांक 01/77-78/अ-19 आदेश दिनांक 05.03.1977 के द्वारा खसरा नम्बर 1411 के क्षेत्रफल 2 बीघा का व्यवस्थापन पट्टा आवासीय उपयोग हेतु नायब तहसीलदार, उप-तहसील कराहल, जिला मुरैना द्वारा प्रदाय किया गया। दिनांक 19.10.1980 को उक्त आवासीय भू-खण्ड का आधिपत्य दिया गया, जिस पर आवेदक का भवन 100 X 40 वर्गफुट पर निर्माण कर 40 वर्षो से उपभोग होना पाया गया तथा ग्राम पंचायत कराहल को उक्त आवास के संबंध में प्रतिवर्ष पट्टा शुल्क 500/-रूपये अभिलेख रसीद से भी प्रमाणित होता है तथा अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत कराहल के प्रमाणीकरण दिनांक 10.06.2014 से आवेदक का भवन निर्मित होना पाया जाता है। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत कराहल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 8 दिनांक 15.08.2015 के द्वारा शंकरपुर पनवाडा चौराहा, शंकरपुर बरगंवा रोड, भीमनगर, चिन्ताहरण के विभिन्न सर्वे नम्बरों के संबंध में 50 वर्षो से वसीयत को आवासीय घोषित किये जाने के संबंध में पारित पारित होना पाया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 244 के अन्तर्गत पूर्व प्रदाय आवासीय भू-खण्ड पर 40 वर्षो से आवेदक का भवन बनाकर निवास करने से उसको आवासीय भू-खण्ड पर अधिकार प्राप्त होने से उसे बेदखल भी नहीं किया सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर म0प्र0 शासन अधिकार अभियान के नियमों के अनुसार नायब तहसीलदार, उप-तहसील कराहल तहसील श्योपुर, जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर के द्वारा प्रदाय खसरा नम्बर 1411 क्षेत्रफल 2 बीघा पर एवं उस पर निर्मित भवन के अधिकार उत्पन्न होने से प्रदाय पट्टा दिनांक 05.03.77 को स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर